

संविधान की प्रस्तावना:

" हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा
उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई0 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"



**हम भी शासन में
भागीदार**

26 नवम्बर

(70 वें संविधान दिवस पर विशेष)


कौन सर्वोपरि?घटिया राजनीति या संविधान?

आज सुबह जब अखबार खोला तो पता चला कि आज हमारा देश 70 वां संविधान दिवस मना रहा है।साथ ही अखबारों की सुर्खियों में महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही उथल-पुथल की खबरों के साथ ही हमारे राज्य राजस्थान में निकाय चुनावों को लेकर हो रही बाडेबंदी की खबरे भी प्रमुखता से थीं।जिन्हें पढ़कर मैंने अपने आप से पूछा कि क्या वाकई आज संविधान दिवस है?क्या ऐसी घटिया राजनीति और मानसिकता के लिए ही बाबा भीम राव अम्बेडकर साहब ने इतनी मेहनत की थी?देखा जाए तो आज की राजनीति अपने घटियापन के निम्नतम स्तर पर है।जहाँ पार्टी तो दूर अपने ही लोग, रिश्तेदार भी सगे नहीं रहे।केवल एक ही उद्देश्य रह गया है, येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना, फिर चाहे यह घटिया राजनीति सरपंच, पार्षद बनने की हो या मुख्यमंत्री बनने की।यह सत्ता संघर्ष पहले सत्ता प्राप्त करने के

हमारे देश की
वर्तमान स्थिति

देश के विकास में बाधक कौन???

जवाब दो सरकार!!!



लिए होता है सत्ता प्राप्त करने के बाद यह राजनैतिक शत्रुता निकालने और धन प्राप्ति के लिए नियम कायदों को ताक पर रख कर, तबादलों, चहेतों को टेंडर दिलाने, निजी हित के लिए पालिसी बदलने के तौर पर परिवर्तित हो जाता है। जो अधिकारी इस कार्य में हितेषी बनता है वह मलाई पाता है और जो बाधक बनता है वह वनवास काटता है।

**घटिया राजनीति के जिम्मेदार
कौन?**

सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या राजनेता ही

इस घटिया राजनीति के जिम्मेदार है? या फिर कोई और? तो इस सवाल का जवाब आता है हम नागरिक!! हम नागरिक ही हैं जिनके लिए इस संविधान को अंगीकार किया गया है, परन्तु आजादी मिलने के बाद हमने इस संविधान को केवल किताबों तक सिमित कर दिया और राजनेताओं और नौकरशाहों ने केवल कसमे खाने के लिए।

हमारा संविधान हमारी पहचान

डॉ. भीमराव अम्बेडकर



हमें केवल यही सिखाया गया है कि किसी भी चुनाव में मतदान करना ही लोकतंत्र में हमारी भागीदारी है परन्तु यदि हम हमारे देश का वाकई विकास करना चाहते हैं तो आम जन को शासन में भी भागीदारी करनी होगी, हमें हर अव्यवस्था पर सरकार से सवाल पूछने पड़ेंगे, और जनता के हर पैसे का हिसाब माँगना होगा। इसके लिए जरूरी नहीं कि हमें विधायक या सांसद ही बनना पड़े, हम और आप आम नागरिक के तौर पर संविधान प्रदत्त **“सुचना के अधिकार”** का इस्तेमाल भ्रष्टाचार मिटाने, शासन में भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बखूबी कर सकते हैं, आवश्यकता है केवल आम आदमी की हिम्मत की। यदि देश के सवा सौ करोड़ नागरिक साल में एक सुचना आवेदन भी करते हैं तो जिम्मेदारों को जवाब देना पड़ेगा।

महात्मा गांधी ने तो केवल सत्य अहिंसा जैसे नैतिक आदर्शों से ही इस देश को आजादी दिलाने में अहम् भूमिका निभाई थी, हमारे पास तो सुचना का अधिकार जैसा संवैधानिक हथियार है जिसे केवल व्यापक जन हित में चलाने की आवश्यकता है। मेरा आम जन से यही आग्रह है कि वह व्यापक जन हित में हर वर्ष एक सुचना आवेदन दाखिल करने का प्रयास करे। इस विषय में हम जल्दी एक विशेष अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं जिसकी जानकारी कुछ ही दिनों में आपको दी जायेगी।

संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं